राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–प.5(223)/निपेवि/नियम/2019/पार्ट.III   दिनांकः– 09/08/2019

अति. निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,
क्षे. का. समस्त ....(राज.)

विषयः– रा.सि.से. (पेंशन) नियम–1996 के नियम–67 के अन्तर्गत वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.09.12 के तहत् प्राप्त विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्र/पुत्रियों तथा अविवाहित विकलांग पुत्र/पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भः– वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(3) एफडी./रूल्स/2010 दिनांक 04.09.2012.

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में संदर्भित अधिसूचना के तहत समस्त प्रकरण स्वीकृति हेतु मुख्यालय में प्राप्त हो रहे है, जिसका मुख्य कारण पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मूल पत्रावली निदेशालय में होने तथा सर्वप्रथम पीपीओ/एफ पीपीओ निदेशालय से जारी होना है, जबकि वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समस्त प्रकार के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा हैं।

पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.09.2012 के तहत पारिवारिक पेंशन स्वीकृति हेतु निदेशालय में प्राप्त प्रकरण जो क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं तथा जिनमें पूर्व में पीपीओ, एफ पीपीओ निदेशालय या महालेखाकार कार्यालय से जारी हुये है, उन प्रकरणों में आगामी कार्यवाही संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ही की जावेगी।

उक्त श्रेणी के ऐसे प्रकरण जो क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में आते है, ऐसे प्रकरणों पर निदेशालय द्वारा कार्यवाही नहीं की जाकर ऐसे प्रकरण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को विभाग की कार्यालय पत्रावली एवं प्रार्थना पत्रों/प्रकरणों के साथ आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित कर दी जावेगी। जिन प्रकरणों में निदेशालय स्तर पर कार्यवाही प्रारम्भ भी की जा चुकी है, उन्हे भी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में भिजवाते हुये, पेंशनर को प्रकरण स्थानान्तरण की सूचना दी जायेगी।

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.09.12 में समय–समय पर प्राप्त होने वाले संशोधन से आपको यथा –समय सूचित किया जाता रहेगा।

भवदीय

(सुल्तान सिंह)
निदेशक

क्रमांकः–प.5(223)/निपेवि/नियम/2019/पार्ट.III/1311-22-H   दिनांकः– 09/08/2019

प्रतिलिपिः–

1. सहायक/उप निदेशक (समस्त) पी.आर अनुभाग, कार्यालय हाजा को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. कार्यालय रिकार्ड अनुभाग, कार्यालय हाजा।
3. निजि सचिव, निदेशक कार्यालय हाजा।

अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय)
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
राजस्थान, जयपुर